

4	ऑनलाइन भाग-2 के क्रमांक-13iv में क्षतिपूरक वनीकरण की टोपोशीट के स्थान पर क्षतिपूरक वनीकरण का Geo Referenced Digital Map अपलोड किया गया है जो त्रुटिपूर्ण है। अतः इसे डिलीट कर ऑनलाइन भाग-2 में क्रमांक-13 iv में प्रभागीय निदेशक द्वारा सत्यापित क्षतिपूरक वनीकरण की टोपोशीट अपलोड करें।	ऑनलाइन भाग-2 के क्रमांक-13iv में क्षतिपूरक वनीकरण की टोपोशीट के स्थान पर क्षतिपूरक वनीकरण का Geo Referenced Digital Map अपलोड किया गया था जिसको डिलीट कर ऑनलाइन भाग-2 में क्रमांक-13iv में प्रभागीय निदेशक द्वारा सत्यापित क्षतिपूरक वनीकरण की टोपोशीट अपलोड कर दी गयी है।
5	क्षतिपूरक वृक्षारोपण के अन्तर्गत 100 वृक्षों का 10 वर्षों के अनुरक्षण सहित प्राक्कलन संलग्न है किन्तु प्राक्कलन भारत सरकार की नवीन गाइड लाइन के अनुसार नहीं है। अतः इसे प्रस्ताव से पृथक कर 50 वृक्षों के क्षतिपूरक वृक्षारोपण का 10 वर्षों का अनुरक्षण सहित प्राक्कलन सारांश सहित संलग्न कर ऑनलाइन भाग-2 में धनराशि एवं प्राक्कलन अपलोड करें।	भारत सरकार की नवीन गाइड लाइन के अनुसार 50 वृक्षों के क्षतिपूरक वृक्षारोपण का 10 वर्षों का अनुरक्षण सहित प्राक्कलन सारांश सहित संलग्न कर ऑनलाइन भाग-2 में धनराशि एवं प्राक्कलन अपलोड कर दिया गया है।

संलग्नक- उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(एच राजामोहन)

वन संरक्षक/फील्ड डायरेक्टर,
पीलीभीत टाइगर रिजर्व पीलीभीत

पत्रांक- 324 /15-1 दिनांकित

प्रतिलिपि:- वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक, वन एवं वन्य जीव बरेली वृत्त, बरेली को सूचनार्थ एवं इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त प्रस्ताव को वृत्त स्तर से ऑनलाइन करने की कृपा करें।

प्रतिलिपि:-प्रभागीय निदेशक, वन एवं वन्य जीव प्रभाग, पीलीभीत को सूचनार्थ एवं इस आशय से प्रेषित कि उक्त प्रस्ताव को बरेली वृत्त बरेली के कार्यालय से ऑनलाइन कराते हुए प्रस्ताव की 03 मूल प्रतियां मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश लखनऊ के कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नक:- यथोपरि।

(एच राजामोहन)

वन संरक्षक/फील्ड डायरेक्टर,
पीलीभीत टाइगर रिजर्व पीलीभीत